

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2019—पौष 5, शक 1941

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 02-32/2019/पेंतीस- पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 2009(2009 का 27) की धारा 6 की उपधारा (1) एवं धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत जिला-खरगोन के ग्राम बालसमूद(विकासखण्ड कसरावद) में ग्लैन्डर्स रोग के उद्भेद के कारण रोग के बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य के जिला-खरगोन के ग्राम बालसमूद(विकासखण्ड कसरावद) एवं इस ग्राम की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र को अश्व प्रजाति के पशुओं हेतु नियंत्रित क्षेत्र (Controlled Area) घोषित करती है। परिणाम स्वरूप अश्व प्रजाति के सभी पशुओं के जिला-खरगोन के ग्राम बालसमूद(विकासखण्ड कसरावद) एवं उनकी 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र में आवागमन को प्रतिबंधित करती है, साथ ही इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेलकूद एवं एकत्रीकरण को प्रतिबंधित करती है।

No. F 02-32/2019/35 - In exercise of the power conferred by subsection (1) of section 6 read with sub section (1) and (2) of section 7 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious diseases in Animals Act 2009(no 27 of 2009), the Govt. of Madhya Pradesh hereby declares village Balsamud (Block Kasravad, district Khargone) and the area within 10 k.m. of its radius as "Controlled area" for equine species of animals to prevent and control and eradicate Glander disease and prohibits the movement of animals belonging to equine species from the place where they are kept to any other place within or outside the area and also prohibits the holding of races, fair, exhibition, games and gathering of such animals in this area.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.